471

संख्या– 357 /III (2)/16–05(बजट)/2013टी0सी0–1

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

,सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 19 फरवरी, 2016

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संः–22 नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत राज्य आकास्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 4734/19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित कार्य)/2015–16 दिनांक 20–01–2016 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संः–550/III(3)/15–01(नाबार्ड)/2014 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संः–1279/III(3)/15–01(नाबार्ड)/2014 दिनांक 21 नवम्बर, 2015 तथा सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संः– 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01–04–2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0– 22 में आयोजनागत पक्ष की नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की तात्कालिकता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत **₹ 70.00 करोड़ (₹ सत्तर करोड़ मात्र)** की धनराशि, राज्य आकास्मिकता निधि से अग्रिम आहरित कर, निम्न शर्तों के अधीन, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i)– उक्तानुसार स्वीकृत की जारी रही धनराशि के सापेक्ष खण्डवार सी0सी0एल आवंटन, मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत स्वीकृत/प्रस्तावित कार्यो हेतु ही किया जायेगा।

(ii)– उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0–4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–12 के प्रस्तर–101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि.वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर–115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(iii)– आयोजनागत/आयोजनेत्त पक्ष की संलग्न योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

(iv)– इस सम्बन्ध में सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संः–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01–04–2015 तथा **उत्तराखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली–2001** में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(v)– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग–I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।